

16.03.2022:-पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्तागण के निवेदन पर पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्तागण कि बहस को ध्यान में रखते हुए। प्रार्थी प्रार्थना-पत्र पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के लिये शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना करने वाले अधिकारी राजस्व हनुमानगढ़ को पत्र जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते  
Copy - No



अधिवक्ता कलक्टर

एवं उप

हनुमानगढ़